प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण सं. 124/ 2024

1- श्रीमती अनुसुइया देवी, पति- स्वर्गीय श्री तेजभान सिंह, आयु- लगभग 75 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- धनगवा, पोस्ट- सधवानी, तहसील- पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर, छ.ग.

2- आनंद प्रताप तोमर, पिता- स्वर्गीय श्री तेजभान सिंह, आयु- लगभग 47 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- धनगवा, पोस्ट- सधवानी, तहसील- पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर, छ.ग.

3- अरुण तोमर, पिता- स्वर्गीय श्री तेजभान सिंह, आयु- लगभग 42 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- धनगवा, पोस्ट- सधवानी, तहसील- पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर, छ.ग.

4- गोपाल शरण सिंह, पिता- स्वर्गीय जगराज सिंह, आयु- लगभग 32 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- धनगवा, पोस्ट- सधवानी, तहसील- पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर, छ.ग.

5- पुष्पराज सिंह, पिता- स्वर्गीय जगराज सिंह, आयु- लगभग 27 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- धनगवा, पोस्ट- सधवानी, तहसील- पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर, छ.ग.

6- श्रीमती तुलसी देवी (मृत), पति- स्वर्गीय जगराज सिंह, आयु- लगभग 62 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- धनगवा, पोस्ट- सधवानी, तहसील- पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर, छ.ग.

7- यशपाल सिंह, पिता- स्वर्गीय पत्रम सिंह, आयु- लगभग 60 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- धनगवा, पोस्ट- सधवानी, तहसील- पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर, छ.ग.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8- मोती सिंह, पिता- स्वर्गीय पत्रम सिंह, आयु- लगभग 55 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- धनगवा, पोस्ट- सधवानी, तहसील- पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर, छ.ग.

9- नोमन प्रताप सिंह, पिता- स्वर्गीय भगवान सिंह, आयु- लगभग 53 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- धनगवा, पोस्ट- सधवानी, तहसील- पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर, छ.ग.

10- यशवंत सिंह, पिता- स्वर्गीय भगवान सिंह, आयु- लगभग 50 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- धनगवा, पोस्ट- सधवानी, तहसील- पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर, छ.ग.

11- कौशलेन्द्र सिंह, पिता- स्वर्गीय भगवान सिंह, आयु- लगभग 48 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- धनगवा, पोस्ट- सधवानी, तहसील- पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर, छ.ग.

12- श्रीमती कृष्णा देवी (मृत), पति- स्वर्गीय भगवान सिंह, आयु- लगभग 80 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- धनगवा, पोस्ट- सधवानी, तहसील- पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर, छ.ग.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....**आवेदकगण**

बनाम

1- कौशल किशोर सिंह, पिता- स्वर्गीय लक्षमण सिंह, आयु- लगभग 61 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- पुटवा, तहसील- पोड़ी उपरोड़ा, जिला- कोरबा, छ.ग.

2- संजय कुमार सिंह, पिता- स्वर्गीय लक्षमण सिंह, आयु- लगभग 51 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- पुटवा, तहसील- पोड़ी उपरोड़ा, जिला- कोरबा, छ.ग.

3- क्षितिज मोहन सिंह, पिता- स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद सिंह, आयु- लगभग 49 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- पुटवा, तहसील- पोड़ी उपरोड़ा, जिला- कोरबा, छ.ग.

4- चंद्रशेखर प्रताप सिंह, पिता- स्वर्गीय दुबराज सिंह, आयु- लगभग 76 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- पुटवा, तहसील- पोड़ी उपरोड़ा, जिला- कोरबा, छ.ग.

5- चंद्रभूषण प्रताप सिंह, पिता- स्वर्गीय रामायण सिंह, आयु- लगभग 50 वर्ष, जाति- तंवर, निवासी- निवासी- पुटवा, तहसील- पोड़ी उपरोड़ा, जिला- कोरबा, छ.ग.

6- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- कलक्टर (जिलाधीश) कोरबा, जिला- कोरबा, छ.ग.

.....**अनावेदकगण**

(वाद-शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया**)**

आवेदकगण की ओर से : **श्री विकास कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता**

अनावेदकगण सं. 1 से 3 की ओर से : **श्री समीर सिंह, अधिवक्ता**

राज्य/अनावेदक सं. 6 की ओर से : **श्री अभिषेक सिंह, अधिष्ठित अधिवक्ता**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

पीठ पर आदेश

16.07.2025

1. इस सिविल पुनरीक्षण के माध्यम से, आवेदकों ने निम्नलिखित अनुतोष प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना की है:-

> "अतः यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया इस आवेदन को स्वीकार करने और द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.) द्वारा सिविल वाद सं. 96-**A**/2019 में पारित 09/05/2024 दिनांकित आदेश को न्याय के हित में अपास्त

करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 सहपठित आदेश 23 नियम 1(4) के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया है।"

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक प्रतिवादी क्र. 1 से 12 थे और अनावेदक क्र. 1 से 5 वादी थे, जबकि अनावेदक क्र. 6 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी क्र. 13 था। सुविधा के लिए, पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जा रहा है। वादियों ने व्यवहार न्यायाधीश, कटघोरा के समक्ष प्रतिवादियों के विरुद्ध, ग्राम पुतवा, पटवारी हल्का क्र. 30, राजस्व निरीक्षक वृत्त पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा (छ.ग.) तथा ग्राम बनखेटा, पटवारी हल्का क्रमांक 30, राजस्व निरीक्षक वृत्त पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा (छ.ग.) में स्थित (जिन्हें संक्षेप में आगे "वाद भूमि" कहा जाएगा) और वाद-पत्र की अनुसूची में वर्णित भूमियों के संबंध में, स्वामित्व की घोषणा, कब्ज़ा और स्थायी व्यादेश हेतु एक वाद प्रस्तुत किया। वाद भूमि मूल रूप से कुशल सिंह की थी और वादी उसके वंशज हैं। वादी तंवर जाति के हैं और वे हिंदू विधि से नहीं बल्कि अपनी प्रथागत प्रथाओं से शासित होते हैं, जहाँ पुत्री का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। कुशल सिंह की मृत्यु के बाद, परिवार के पुरुष सदस्यों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया और अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं। वादियों की शिकायत है कि प्रतिवादियों ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवा लिए। परिणामस्वरूप, वादियों ने वर्तमान सिविल वाद प्रस्तुत किया। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्तमान वाद प्रस्तुत करने से पहले, वादियों ने उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध उन्हीं भूमियों के संबंध में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-**I**, कटघोरा के समक्ष सिविल वाद सं. 19-**A**/2012 (पुनः क्रमांकित 35-**A**/2014) प्रस्तुत किया था। उक्त पूर्व वाद में प्रतिवादियों ने अपने लिखित कथन दाखिल किए थे और न्यायालय ने विवाद्यक भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरचित किए थे। यद्यपि, वाद-प्रश्न तय होने के बाद, वादियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 के तहत उक्त वाद को वापस लेने की अनुमति मांगते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवादियों ने उसका जवाब दिया। 30.10.2019 को न्यायालय ने पूर्व सिविल वाद को वापस लेने की अनुमति दे दी। चूंकि वादियों ने पहले भी उन्हीं भूमियों और उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया था, इसलिए वर्तमान वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1(4) के उपबंधों के तहत वर्जित बताया गया। तदानुसार, प्रतिवादी सं. 1 से 12 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सहपठित आदेश 23 नियम 1(4) सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वाद-पत्र को खारिज करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। वादियों ने इसका विरोध किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, 09.05.2024 के अपने आदेश के माध्यम से, प्रतिवादी सं. 1 से 12 द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1(4) के साथ पठित आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश मनमाना, अवैध और विधि के विपरीत है। उन्होंने तर्क किया कि विचारण न्यायालय इस तथ्य को समझने में विफल रहा कि पूर्व में भी उन्हीं पक्षकारों और संपत्ति के बीच वाद प्रस्तुत हुआ था जिसे 30.10.2019 को वापस लिया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्ज था कि वादी उसी वाद-कारण पर नया वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए, बाद का वाद आदेश 23 नियम 1(4), सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित था तथा वाद-पत्र खारिज किए जाने योग्य था। यद्यपि, माननीय विचारण न्यायालय इस अहम तथ्य पर विचार करने में विफल रहा और उसने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1(4) के साथ पढ़े जाने वाले आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत आवेदन को, बिना उचित रूप से दिमाग लगाए, एक यंत्रवत् रीति से खारिज कर दिया। आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आगे यह दलील देते हैं कि

चूंकि वादियों ने पहले वाला वाद वापस ले लिया था और उसके बाद उसी विषय-वस्तु पर एक नया वाद प्रस्तुत किया गया है, इसलिए बाद वाला वाद पूर्व न्याय (रेस ज्यूडिकाटा) के सिद्धांतों के साथ-साथ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1(4) के विशिष्ट उपबंधों द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है। इसलिए, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए, और वादियों द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र को, विधि की दृष्टि से पोषणीय न होने के कारण, खारिज किया जाने योग्य है।

4. दूसरी ओर, संबंधित अनावेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों का विरोध किया है और निवेदन किया है कि यह सिविल पुनरीक्षण याचिका इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं है। संबंधित प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पिछला वाद, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम 1 के तहत एक नया वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। इसलिए, वर्तमान प्रकरण में पूर्व न्याय (रेस ज्यूडिकाटा) का सिद्धांत लागू नहीं होगा। आगे वे यह निवेदन करते हैं कि पिछले वाद का निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर नहीं किया गया था, और इस प्रकार, विधि के तहत ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो वादियों को वर्तमान वाद प्रस्तुत करने से रोकता हो। अतः वर्तमान वाद विधि में पोषणीय है और विचारण न्यायालय ने, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1(4) के साथ पठित आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत आवेदन को सही रीति से खारिज किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं को सुना और इस सिविल पुनरीक्षण के दस्तावेजों का अवलोकन किया।

6. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 12.08.2024 दिनांकित आदेश के माध्यम से आवेदकों के पक्ष में निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया था:-

"स्थगन हेतु प्रस्तुत आवेदन अंतर्वती आवेदन सं. 1/

2024 पर सुनवाई हुई।

आवेदकों/प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि इससे पहले, एक व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वत्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की मांग की गई थी। इस वाद को 30.10.2019 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 के उपबंधों के तहत वापस ले लिया गया था, लेकिन वादी द्वारा कोई नया वाद दायर करने के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी। उन्होंने आगे यह भी दलील दी कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर, उन्हीं पक्षों के बीच और उसी वाद संपत्ति के संबंध में, वादी ने एक नया व्यवहार वाद सं. 96**A**/2019 दायर किया, जिसमें कब्जे के एक अतिरिक्त अनुतोष की भी मांग की गई थी। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि यह बाद वाला वाद, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1(4) के तहत वर्जित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिष्ठित अधिवक्ता, श्री प्रांजल शुक्ला ने इस तर्क का विरोध किया।

श्री पाण्डेय द्वारा किए गए तर्कों और वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हुए, अंतरिम अनुतोष प्रदान करने के लिए एक ठोस आधार बनता है; अतः द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, कटघोरा, जिला

कोरबा (छ.ग.) के समक्ष लंबित व्यवहार वाद सं. 96**A**/2019 की कार्यवाही, सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगी।

7. अभी हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **14.07.2025** को निर्णीत सिविल अपील सं. 7743/2025 **पांडुरंगन बनाम टी. जयरामा चेट्टियार एवं अन्य** के प्रकरण में इसी तरह के विवाद्यक पर विचार किया है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"8. **श्रीहरि हनुमंदास तोताला बनाम हेमंत विट्ठल कामत व अन्य, (2021) 9 एस. सी. 99** में, इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि पूर्व न्याय (रेस ज्यूडिकाटा) के तर्क का निर्णयन करना सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII**, नियम 11 के दायरे से बाहर है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

'25. उपरोक्त प्राधिकारों के अवलोकन पर, आदेश 7 नियम 11(घ) के तहत एक आवेदन का निर्णयन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

25.1. किसी वाद को इस आधार पर खारिज करने के लिए कि वह किसी विधि द्वारा वर्जित है, केवल वाद-पत्र में किए गए कथनों को ही संदर्भित करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25.2. आवेदन के गुणों पर निर्णय लेते समय वाद में प्रतिवादी द्वारा किए गए बचाव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

25.3. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई वाद पूर्व न्याय (रेस ज्यूडिकाटा) द्वारा वर्जित है, यह आवश्यक है कि (**i**) "पूर्व वाद" का निर्णय हो चुका हो, (**ii**) बाद के वाद के विवाद्यक पूर्व वाद में प्रत्यक्ष और सारभूत रूप से विचारणीय रहे हों; (**iii**) पूर्व वाद उन्हीं पक्षकारों या उनके माध्यम से दावा करने वाले पक्षकारों के बीच रहा हो, जो उसी शीर्षक के तहत वाद लड़ रहे हों; और (**iv**) इन विवाद्यकों का निर्णय बाद के वाद की सुनवाई करने में सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से किया गया हो।

25.4. चूंकि पूर्व न्याय के कथन के निर्णयन के लिए "पूर्व वाद" के अभिवचनों, विवाद्यकों और निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसा तर्क आदेश 7 नियम 11(घ) के दायरे से परे होगा, जहाँ केवल वाद-पत्र में दिए गए कथनों का ही अवलोकन किया जाना है।'

(बल दिया गया)

इस विवाद्यक की कि क्या एकपक्षीय डिक्री मिलीभगत से प्राप्त की गई है, या क्या प्रतिवादी नंबर 1 ने क्षेत्राधिकार विहीन न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके धोखाधड़ी की है, या क्या अपीलकर्ता एक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सद्भावी क्रेता है या नहीं, विस्तृत जांच की आवश्यकता है। इस न्यायालय ने माना है कि ऐसी परिस्थितियों में पूर्व डिक्री और दूसरे वाद पर इसके प्रभाव की गहन जांच आवश्यक है। पूर्व न्याय का निर्णय केवल वाद-पत्र खारिज करने की मांग करने वाले आवेदन में किए गए दावों के आधार पर नहीं किया जा सकता। जैसा कि इस न्यायालय ने **वी. राजेश्वरी बनाम टी.सी. सरवनबावा, (2004) 1 एस.सी.सी. 551** में धारित किया है, वाद-कारणों की समानता की पहचान करना विचारण का विषय होना चाहिए जहाँ पहले वाद के दस्तावेजों का परिशीलन और विश्लेषण किया जाता है। पूर्व न्याय अटकलों या अनुमान का विषय नहीं हो सकता। **केशव सूद बनाम कीर्ति प्रदीप सूद, सिविल अपील सं. 5841/2023** में, इस न्यायालय ने वाद-पत्र खारिज करने के आवेदनों में पूर्व न्याय का तर्क उठाने के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'5. जहाँ तक सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII** के नियम 11 के दायरे का संबंध है, विधि सुस्थापित है। न्यायालय केवल वाद-पत्र में किए गए अभिवचनों और अधिक से अधिक, वाद-पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को देख सकता है। ऐसे आवेदन का निर्णय करते समय प्रतिवादी के बचाव और उसके द्वारा अवलंब लिए गए दस्तावेजों को नहीं देखा जा सकता।

6. अतः, हमारे विचार में, पूर्व न्याय के विवाद्यक का निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII** के नियम 11 के तहत एक आवेदन पर नहीं किया जा सकता था। इसका कारण यह है कि इस विवाद्यक पर अधिनिर्णय के लिए पूर्व वाद के अभिवचनों, विचारण न्यायालय के निर्णय और अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों पर विचार करना शामिल होता है। इसलिए, हम स्पष्ट करते हैं कि न तो विद्वान एकल न्यायाधीश और न ही खंडपीठ इस स्तर पर अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए पूर्व न्याय के तर्क का गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले सकती थी।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा वाद-पत्र में प्रस्तुत प्रकरण का न तो कोई विचार किया गया और न ही विश्लेषण। इसके अलावा, विचारण न्यायालय ने वादी की कार्रवाई की वैधता पर इस आधार पर सवाल उठाया कि, "उसने ओ.एस. सं. 298/96 में पारित डिक्री के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई। इसलिए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उठाया गया कपट का तर्क स्वीकार्य नहीं है।" इस दृष्टिकोण के साथ, विचारण न्यायालय ने

आदेश **VII**, नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रयोज्यता पर अपीलकर्ता की आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया;

12. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने तर्क किया कि इस प्रकार के प्रश्न को प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने इस माननीय न्यायालय के निर्णय 2009(4) एल. डब्ल्यू. 432, और 2007 ए. एल. डब्ल्यू. 580, 2000(3) एम.एल.जे. 342, 2002 (1) एल. डब्ल्यू. 398 प्रस्तुत किए हैं। लेकिन वे न्यायालय शुल्क से संबंधित हैं। जहाँ तक वर्तमान प्रकरण का संबंध है, यह न्यायालय शुल्क से संबंधित नहीं है। इसलिए उक्त उदाहरण इस वाद पर लागू नहीं होते। उपरोक्त कारणों और स्पष्टीकरणों के आधार पर, आवेदन स्वीकार किया जाता है। वाद-व्यय के विषय में कोई आदेश नहीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. हम विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और तर्क से सहमत नहीं हैं। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के अनुच्छेद 227 के तहत पुनरीक्षण को भी इसी तरह यह कहते हुए खारिज

कर दिया गया था कि विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. हालांकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त नहीं की है कि ओ.एस. सं. 298/96 दिनांक 29.07.1997 में एकपक्षीय डिक्री वर्तमान वाद को वर्जित करने वाले पूर्व न्याय के रूप में कार्य करेगी या नहीं, लेकिन हम यह मानते हैं कि इस प्रश्न की जांच आदेश **VII**, नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत नहीं की जा सकती थी, विशेष रूप से एकपक्षीय डिक्री के बारे में वाद-पत्र में अपीलकर्ता द्वारा किए गए विशिष्ट अभिवचनों, उक्त लेन-देन के आसपास की परिस्थितियों और घोषणा व परिणामी अनुतोष के लिए वाद में की गई प्रार्थना के संदर्भ में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. ऊपरोक्त कारणों से, हम अपील स्वीकार करते हैं, सी.आर.पी. (पी.डी.) सं. 1454/2014 दिनांक 20.03.2019 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हैं और जिला मुंसिफ सह न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोर्टोनोवो के समक्ष वाद सं. ओ.एस. सं. 60/2009 को उसके मूल नंबर पर बहाल करते हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि वाद वर्ष 2009 का है, वाद के शीघ्र निपटान का

निर्देश दिया जाता है।

14. निष्कर्षित करते हुए, हम स्पष्ट करते हैं कि हमने प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए सभी आधार, जिनमें पूर्व न्याय से संबंधित आधार भी शामिल हैं, अंतिम निर्धारण के लिए खुले रखे गए हैं।"

8. विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी आवेदन पर निर्णय लेते समय, केवल वाद-पत्र में किए गए कथनों पर ही विचार किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान या आवेदन में उठाए गए बचाव को उस चरण पर ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी भली-भांति स्थापित है कि पूर्व न्याय के प्रश्न पर विचार करने के लिए, पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिवचन, विवाद्यकों का निर्धारण, और साक्ष्य की जांच करना आवश्यक है; जो कि वर्तमान प्रकरण में नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **पांडुरंगन** (पूर्वोक्त) प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के आलोक में—जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी आवेदन पर निर्णय लेते समय, केवल वाद-पत्र में किए गए कथनों पर ही विचार किया जाना आवश्यक है, और लिखित बयान या किसी अन्य आवेदन में उठाया गया बचाव उस चरण पर अप्रासंगिक होता है; तथा यह भी कि पूर्व न्याय के प्रश्न के लिए अभिवचन, विवाद्यकों के निर्धारण और साक्ष्य के बाद

उचित अधिनिर्णय की आवश्यकता होती है—यह न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन को खारिज करने के संबंध में विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाता है।

10. तदानुसार, प्रतिवादियों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे अपने लिखित कथन में, पूर्व न्याय के तर्क सहित, सभी अनुमेय आपत्तियां उठा सकते हैं। विचारण न्यायालय इस संबंध में उचित विवाद्यकों का निर्धारण करेगी और विधि के अनुसार उन पर निर्णय देगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. चूंकि 12.08.2024 के आदेश के माध्यम से विचारण की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, अतः उक्त अंतरिम आदेश को इसके द्वारा समाप्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण की कार्यवाही को शीघ्रता से आगे बढ़ाए और विधि के अनुसार इस प्रकरण का निपटारा करे।

12. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह सिविल पुनरीक्षण निराकृत किया जाता है।

सही/-

(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur